न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 11/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, मनोहरपुरा

बनाम

1. श्री हेमराज बलाई पुत्र श्री रामेश्वर बलाई निवासी दुदी आमलोदा थाना मनोहरपुरा।
2. श्री दीपक पुत्र श्री विनोद निवासी धुलेश्वर कालेज के पास केरवालों का मोहल्ला मनोहरपुरा।

4. निर्णय दिनांक : 28.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी मनोहरपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 26.05.2014 को श्री महादेव प्रसाद, सरपंच ग्राम पंचायत दूधी आमलोदा ने मय ग्रामीणों के एक टेम्पो आरजे14–जीसी–6805 मय छः कट्टे राशन के गेहूं के उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी कि श्री हेमराज बलाई की राशन डीलर की दुकान है। वह राशन की कालाबाजारी करता है। दिनांक 26.05.2014 को राशन के सामान की कालाबाजारी की सूचना पर ग्रामवासियों की मदद से टैम्पो रुकवाया गया, जिसमें छः कट्टे राशन के गेहूं कुल 300 किग्रा. मिले। अप्रार्थी संख्या 1(राशन डीलर) व अप्रार्थी संख्या 2(टैम्पो चालक) मौके से टैम्पो छोडकर भाग गये। साथ ही बताया कि राशन डीलर व वितरण करने वाले शराब के नशे में रहते है व महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं। तदुपरान्त थानाधिकारी ने माल मय टैम्पो जब्त कर रोजनामचा तफतीशी, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 26.08.2014 को श्री विनोद कुमार बैरवा ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 1,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 30.09.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार अप्रार्थीयान को आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 28.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब्त माल को सरपंच द्वारा ग्रामवासियों की मदद से कालाबाजारी के लिये परिवहन करने के दौरान पकडा गया एवं राशन डीलर व चालक मौके से टैम्पो छोडकर भाग गये। जिससे अप्रार्थी संख्या 1(राशन डीलर) द्वारा राशन गेहूं की कालाबाजारी करना पुष्ट होता है। प्रकरण में जब्त सामग्री के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध बिल–परमिट के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहूं की कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध परिवहन व भण्डारण किया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में छः कट्टे राशन के गेहूं कुल 300 किग्रा. व उसके अवैध परिवहन में काम ली जा रही गाडी टेम्पो आरजे14–जीसी–6805 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर